संख्या-58/2019/612/71-1-2019-जी-134/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 29 मार्च, 2019

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेजों के लिए एम्बुलेन्स क्रय किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2019/1022, दिनॉक 12-02-2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु एम्बुलेन्स के क्रय हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में एम्बुलेन्स/क्रिटिकल केयर एम्बुलेन्स का क्रय हेतु मानक मद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 4,50,79,393.00 (रू0 चार करोड़ पचास लाख उनयासी हजार तीन सौ तिरानबे मात्र) के सापेक्ष रू0 2,55,00,000.00 (रू0 दो करोड़ पचपन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्य/मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3- मोटर गाड़ी के क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- एम्बुलेन्स का क्रय वर्तमान में लागू डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के जेम पोर्टल द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनॉक 22.05.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-73-राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थान में एम्बुलेन्स/क्रिटिकल केयर एम्बुलेन्स का क्रय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-427/दस-2019, दिनॉक 29 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-58/2019/612(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बाँदा तथा बदायूँ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बाँदा तथा बदायूँ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बाँदा तथा बदायूँ।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-58/2019/612/71-1-2019-जी-134/2018,

दिनॉक 29 मार्च, 2019 का संलग्नक

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	साधारण एम्बुलेन्स		क्रिटिकल केयर एम्बुलेन्स	
		मात्रा	जेम पोर्टल पर उपलब्ध साधारण एम्बुलेन्स प्रति नग दर (अनुमानित)	मात्रा	जेम पोर्टल पर उपलब्ध साधारण एम्बुलेन्स प्रति नग दर (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर	01	13,00,000	01	16,50,000
2	आगरा	00	00	01	16,50,000
3	इलाहाबाद	01	13,00,000	01	16,50,000
4	मेरठ	01	13,00,000	01	16,50,000
5	झॉसी	01	13,00,000	01	16,50,000
6	गोरखपुर	01	13,00,000	01	16,50,000
7	कन्नौज	01	13,00,000	00	00
8	जालौन	01	13,00,000	00	00
9	आजमगढ़	01	13,00,000	00	00
10	अम्बेडकर नगर	01	13,00,000	00	00
11	सहारनपुर	01	13,00,000	00	00
12	बॉदा	01	13,00,000	00	00
13	बदायूँ	01	13,00,000	00	00
	योग	12	1,56,00,000	06	99,00,000

कुल योग-2,55,00,000.00

(रू0 दो करोड़ पचपन लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।